

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सेवा मे,

रेणुका मिश्र,
अपर सचिव (भर्ती)
पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक: मा०शि०प०/परिषद-९/ 118

दिनांक-12 मई, 2009

विषय:-भारत मे विधि द्वारा स्थापित बार्ड की बारहवी परीक्षा की समकक्षता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: पी०एस०आर०पी०बी०/भर्ती-०९(निर्देश) दिनांक ७ मई, 2009 के संदर्भ मे सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा जिन शिक्षा परिषदों की इण्टर की परीक्षा को समकक्ष मान्य किया गया है, उससे संबंधित सूची संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि परिषद द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं की परीक्षाये मान्य नहीं हैं:-

- 1-हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा/मध्यमा परीक्षाये परिषद की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।
- 2-माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी एवं सीनियर सेकेण्डरी परीक्षाएं परिषद की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।
- 3-गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा द्वारा वर्ष, 2008 की परीक्षा तक संचालित अधिकारी परीक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है। वर्ष, 2009 की परीक्षा से अधिकारी परीक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उक्त संस्था की पंडित परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

उक्त से संबंधित जनपदीय तथा मण्डलीय अधिकारियों को प्रसारित इस कार्यालय के अ०शा० पत्रांक:परिषद-९/८१ दिनांक-३०-०४-२००९ की प्रति भी संलग्न है।

भवदीय,

दिनांक 12.5.09

अपर सचिव (परिषद)

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०
इलाहाबाद

12/5/09

ली 42
12/5/09
अपर सचिव (परिषद)
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०
इलाहाबाद

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षाएं :-

- (7) निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है:-
- (क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा परिषदों की इण्टरमीडिएट परीक्षा।
- (ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा वर्ष 2001 तक संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
- (ग) एम0 एस0 विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा संचालित एफ0 वाई0 बी0 ए0, एफ0वाई0 बी0 काम0 तथा एफ0 वाई0 वी0 एस-सी0 परीक्षाएँ।
- (घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल परीक्षा।
- (ङ) काउन्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल, सर्टीफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा।
- (च) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक अथवा अनुरूप परीक्षा, यह अनुरूपता, छात्र द्वारा उस विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के लिए आवश्यक बाद के अध्ययन के वर्षों की संख्या से अवधारित होगी।
- (छ) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम की प्री-डिग्री साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग की परीक्षा।
- (ज) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के परीक्षाओं को उनके समकक्ष अंकित विवरण के अनुसार -
- (1) प्री-मेडिकल परीक्षा-विज्ञान समूह जीव विज्ञान के साथ।
- (2) प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा- विज्ञान एवं गणित समूह के साथ।
- (3) वी0 ए0/बी0 एस0-सी, बी काम0 भाग-1।
- परीक्षा क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के समकक्ष।
- (झ) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।
- (ञ) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर इम्फाल द्वारा संचालित स्पेशल हायर सेकेन्डरी (बारह वर्षीय) पाठ्यक्रम परीक्षा।
- (ट) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, अगरतला द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी (बारह वर्षीय) परीक्षा।
- (ठ) राष्ट्रीय ओपेन स्कूल, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेन्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण की गयी हो।

(3) रजिस्ट्रार, अरबीपारसी परीक्षाएं, 3090 द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

श्री 03/0 पत्रांक:परिषद्-9/ 31

::श्रीमती प्रभा त्रिपाठी::

सचिव ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश ।

इलाहाबाद दिनांक- 30-6-2009

प्रिय महोदय,

ज्ञातव्य है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा, मध्यमा एवं अन्य उच्चतर परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष न तो कभी पूर्व में मान्य थी और न वर्तमान में ही मान्य है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली की सेकेंडरी परीक्षा, जो हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य थी, को प्रदत्त मान्यता परिषद्/उ०प्र० शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है । साथ ही गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा की अधिकारी परीक्षा को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष प्रदत्त मान्यता भी उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1799/15-7-07-181398/05 दिनांक 10-7-2008 द्वारा समाप्त की दी गई है ।

मेरे परिचय में यह तथ्य आया है कि प्रदेश में विद्यालयों के कतिपय प्रधानाचार्यों द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से प्रथमा उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश कक्षा-11 में कर लिया गया है साथ ही वैसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रथमा/मध्यमा उत्तीर्ण छात्रों का चयन शिक्षा मित्र/वी०टी०सी० में कर लिया गया है । अनर्ह छात्रों का प्रवेश/चयन विनियमों के प्रतिकूल एवं नियम विरुद्ध है । ऐसा करने पर न्यायालय में उनके बाद योजित होते हैं जिसमें शासकीय धन एवं प्रोग्राम का अपव्यय होता है ।

अतः उपर्युक्त स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश/वी०टी०सी० शिक्षा मित्र में चयन एवं कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति करते समय निम्नांकित बिन्दुओं में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन निश्चित किया जाय:-

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की प्रथमा/मध्यमा परीक्षाएँ परिषद् की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है ।

✓2- माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली द्वारा संचालित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं परिषद की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं हैं।

✓3- गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा द्वारा वर्ष 2008 की परीक्षा तक संचालित अधिकारी परीक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है। वर्ष 2009 की परीक्षा से अधिकारी परीक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उक्त संस्था को पण्डित परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

छात्रों के प्रवेश/नियुक्ति के समय यदि किसी भी परीक्षा की समकक्षता स्पष्ट न हो तो उसकी पुष्टि परिषद कार्यालय से अवश्य करा लें। इस संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त संस्थाधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

श्रीमती प्रभा त्रिपाठी 30-4-09

दिनांक 30-4-2009

आशांक पृष्ठांक संख्या: परिषद-9/ 31-5

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त वरिष्ठ जुलिया अधीक्षक नाम से उत्तर प्रदेश।
- 5- क्षेत्रीय सचिव, माओशाओ, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, वरेली, वाराणसी तथा इलाहाबाद।

भवदीय,

श्रीमती प्रभा त्रिपाठी 30-4-09

30-4-09